उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2
संख्या–3588/14–2–2018 –144जी/2018
लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एण्ड जस्टिस (लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट) के असाधारण गजट दिनांक 03.08.2016 के माध्यम से कम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फण्ड एक्ट (CAF Act 2016) में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कैम्पा की योजनाओं एवं कार्यक्रम पर विचार–विमर्श किये जाने हेतु 03 समितियों–शासी निकाय (Governing Body) कार्यपालक समिति (Steering Committee) तथा अभिचालन समिति (Executive Committee) के गठन किये जाने की व्यवस्था है।

2– भारत सरकार के उपरोक्त एक्ट में वर्णित प्राविधानों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उ0प्र0 कैम्पा) द्वारा प्रदेश में वृक्षारोपण तथा रोपित वृक्षों के रख–रखाव से सम्बन्धित कार्य एवं निधि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नवत 03 समितियों को गठित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. **प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा–10(5) के अनुसार राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय (Governing Body)**

(1)	मुख्यमंत्री	पदेन अध्यक्ष
(2)	वन मंत्री	पदेन सदस्य
(3)	मुख्य सचिव	पदेन सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वन विभाग।	सदस्य सचिव
(5)	पर्यावरण, वित्त, नियोजन, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायतीराज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव	पदेन सदस्य
(6)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल के प्रमुख)	पदेन सदस्य
(7)	मुख्य वन्यजीव वार्डन	पदेन सदस्य

2. प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा–11(2) के अनुसार राज्य प्राधिकरण की अभिचालन समिति (Steering Committee)

(1)	मुख्य सचिव	पदेन अध्यक्ष
(2)	वन, पर्यावरण, वित्त, नियोजन, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायतीराज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव	पदेन सदस्य
(3)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल के प्रमुख)	पदेन सदस्य
(4)	मुख्य वन्यजीव वार्डन	पदेन सदस्य
(5)	नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	पदेन सदस्य
(6)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख	पदेन सदस्य
(7)	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण–मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबन्ध	पदेन सदस्य
(8)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आदिवासी मामलों का विशेषज्ञ या आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि	सदस्य
(9)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य प्राधिकरण	सदस्य सचिव

3. प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा–11(3) के अनुसार राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति (Executive Committee)

(1)	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल के प्रमुख)	पदेन अध्यक्ष
(2)	मुख्य वन्यजीव वार्डन	पदेन सदस्य
(3)	एक अधिकारी जो कि मुख्य वन संरक्षक के पद सेन्यून न हो, जो वन और वन्यजीव से संबंधित योजनाएं सम्पादित करता हो–मुख्य वन संरक्षक, ईकोडेवलपमेंट	पदेन सदस्य
(4)	एक अधिकारी जो कि मुख्य वन संरक्षक के पद से न्यून न हो, जो वानिकी अनुसंधान से सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करता हो–मुख्य वन संरक्षक, वन वर्धनिक, दक्षिणी क्षेत्र, कानपुर	पदेन सदस्य
(5)	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण–मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबन्ध	पदेन सदस्य
(6)	पर्यावरण, वित्त, नियोजन, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायतीराज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विभागों के प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
(7)	वित्त विभाग द्वारा मनोनीत वित्त नियंत्रक या वित्तीय सलाहकार	पदेन सदस्य
(8)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गये दो प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन	सदस्य
(9)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला स्तर पंचायतीराज संस्थानों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आदिवासी मामलों का विशेषज्ञ या आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य प्राधिकरण	सदस्य सचिव

कृपया उपरोक्त समितियों की बैठक दिनांक 03–8–2016 को प्रकाशित CAF Act 2016 निर्धारित समयावधि के भीतर आयोजित की जाय।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

संजय सिंह
सचिव।

Data D. SO Karyalay Gyap

संख्या– 3588(1)/14–2–2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 वन मंत्री जी, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव विभाग, पर्यावरण विभाग, वित्त, नियोजन, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज, लखनऊ के प्रमुख।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
7. मुख्य वन्यजीव वार्डन।
8. नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव।

Data D. SO Karyalay Gyap